

# Order Sheet [Contd]

Case No 116/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-04-2017	<p>आवेदक/आरोपी महाबीर की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आपत्तिकर्ता लालाराम की ओर से श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा अपने मेमो सहित लिखित आपत्ति पेश की।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 375/16 धारा 304बी,, 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उसके द्वारा कभी भी दहेज में चार पहिया गाडी एवं रूपयों की मांग मृतिका से नहीं की गई और न ही उसे किसी प्रकार से परेशान प्रताडित किया गया है। मृतिका को खाना बनाते समय मिर्गी का दौरा आ गया जिससे उसका सिर चूल्हे में चला गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गोहद अस्पताल उपचार हेतु लाया गया जहाँ से उसे ग्वालियर रिफर कर दिया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में सहआरोपीगण जाहरसिंह व श्रीमती सज्जो बाई को माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक लंबे समय से अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। उसे उचित जमानत मुचलके पर मुक्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि आवेदक एवं उसके परिवार के लोग झगडालू प्रवृत्ति के है उनके द्वारा फरियादी एवं साक्षियों को धमकी दी रही है। यदि आवेदक को जमानत पर छोड़ा गया तो निश्चित ही साक्षियों को प्रभावित करेगा। अतः जमानत निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन</p>	

किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण के सहआरोपीगण को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है व दुर्घटनावश शशी की मृत्यु हुई है और इसी आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/आरोपी मृतिका शशी का पति है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य आरोपीगण पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जहाँ तक जमानत पाए सहआरोपी सज्जोबाई को एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1071/17 में दी गई अग्रिम जमानत इस आधार पर दी गई थी कि आवेदिका सज्जो बाई मृतिका के साथ नहीं रहती थी तथा उस पर दहेज मांगने एवं क्रूरता के संबंध में आरोपी नहीं लगाया है। साथ ही आवेदक जहारसिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर जमानत दी थी कि आवेदक मृतिका के निवास नहीं करता था तथा उसके विरुद्ध मृतिका के परिजन द्वारा दहेज मांगने एवं क्रूरता का आरोप नहीं लगाया है। आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पाए सहआरोपीगण समान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त मृतिका का पति है जिसके कि मृत्यु के समय तक मृतिका के साथ रहना के संबंध में आरोप लगाया है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य स अपराध के स्वरूप को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

प्रतिलिपि,

पुलिस थाना गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)